5 Rs

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

FIVE RUPEES

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

प्रमाणित किया जाता है कि निबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या 1/M –255/2006–364 दिनांक 08.02.2007 के कंडिका संख्या 1( ) एवं 2( ) में दिये गये निर्देश के आलोक में पक्षकार द्वारा मुद्रांक शुल्क 10,000/– रूपये चालान संख्या 33,दिनांक 15.04.2008 के स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030 में जमा किया गया । अब दस्तावेज पूर्णतः मुद्रांकित है ।

निबंधन पदाधिकारी
भागलपुर

जिला अवर निबंधक का मुहर
भागलपुर

1. नाम लेख्यकारीगण :–

1.श्री बम शंकर झा पिता स्व0 शिवनन्दन झा 2. श्री दिगम्बर झा पिता स्व0 शिवनन्दन झा, खुद वो वहैसियत कर्त्ता दोनों जाति हिन्दु (ब्राहमण) पेशा नौकरी वो वकालत गैरह, निवासी ग्राम सबौर पोस्ट वो थाना सबौर, जिला भागलपुर।

.....प्रथम पक्ष

Digambar Jha
28/03/08

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

Om Prakash
28/03/08

एव

3. फर्म मेसर्सः– प्रेमनगर कन्सॅट्रकसन्स जिसका व्यवसायिक स्थान का पता – सबौर ,थाना– सबौर , जिला भागलपुर है। वजरिये साझेदार (1) श्री गोने लाल मंडल पिता श्री डोमन मंडल वो (2) श्री निर्मल कुमार अग्रवाल पिता वाल कृष्ण अग्रवाल (3) श्री दिवाकर प्रसाद वर्मा पिता श्री बलदेव प्रसाद (4) श्री सज्जन कुमार राय पिता स्वर्गीय विश्वनाथ राय एवं (5) श्री समरेन्द्र नाथ झा पिता स्व0 शंभू नाथ झा , सभी जाति हिन्दु पेशा – व्यवसाय वगैरह, निवासी ग्राम सबौर, पोस्ट सबौर, थाना सबौर, जिला भागलपुर। राष्ट्रीयता भारतीय। .....द्वितीय पक्ष

2. नाम द्वितीय पक्ष :– वहक एक दूसरे के ।

3. लेख्य प्रकार :– भूखण्ड विकास हेतु डभलपमेंट एग्रीमेंट।

4. सम्पति का विवरण :– हक हिस्सा सोलह आना निस्वत अराजी वसोवासी (भीठ), अराजी मवाजी 55695 (पचपन हजार छः सौ पनचानवे) वर्गफीट जो कि 51 ईकावन कट्ठा 3 तीन घूर , वनाप (1089) एक हजार नवासी वर्गफीट बराबर एक कट्ठा के हिसाब से है तथा जो कि डिसमल के अनुसार 128.0985 एक सौ अठाईस दसमलव शुन्य नो आठ पांच डिसमल के है , वास्ते बहुमंजिली इमारत संरचना (बनाने) हेतु दिया जाता हैं। बांके मौजा फतेहपुर, थाना न0 23 अंचल वो थाना सबौर हल्का नं0 1 तथा जिसका सर्वे खाता नं0 682 एवम खेसरा नं0 611 का पार्ट है, अन्दर जमिंदारी विहार सरकार के तथा जो भागलपुर जिला के अर्न्तगत है। जिसकी चौहद्धी इस प्रकार है। –

उत्तर– सीताराम मंडल व त्रिवेणी मंडल
दक्षिण :– भागलपुर सबौर रोड़ (N. H 80)
पुरब :– चौदह फीट चौड़ा रास्ता
पश्चिम :– मीरा दास वगैरह

For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner

वाजे रहे कि द्वितीय पक्ष (डेवलपर) उक्त जायदाद की पैमाईस अमीन द्वारा करा लेगे। पैमाईस होने पर भूमि का रकवा कम या ज्यादा जो पैमाईस में आयेगा वहीं रकवा इस दस्तावेज का मान्य समझा जायेगा। पैमाईस नक्सा पर दोनो पक्षो का हस्ताक्षर सिप्त रहेगा।

संदर्भ

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष को उनके स्वर्गीय पिता बाबू शिवनन्दन झा के नाम से खतियानी पैत्रिक जायदाद मौजा फतेहपुर, थाना न0 23 अंचल वो थाना सबौर जिला भागलपुर के अर्न्तगत वो अलावे दिगर जायदाद हासिल चला आता है। तालिका खाना न0 5 में बर्णीत जायदाद उपरोक्त पैतृक खतियानी जायदाद का ही एक भाग है।

यह कि बाद स्वर्गवास उपरोक्त शिवनन्दन झा के, उनके दो पुत्रों क्रमशः श्री बम शंकर झा वो श्री दिगम्बर झा (लेख्यकारी न0 1 वो 3 प्रथम पझ) ने उक्त खतियानी पैत्रिक जायदाद को आपुसी सहमति से बॉट लिया है, और दोनों भाई अपने अपने हिस्से में मिली जायदाद पर वहैसियत सोलह आना मालिक वो कर्त्ता खनदान अपने अपने परीवार के चले आते है।

यह कि उपरोक्त दोनो भाईयों ने अपने अपने बॅटवारा होकर मिले हुये सटे हिस्से को मिलाकर एक बड़े भूभाग (भूखंड़) , जिसका पुरा बिबरण दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 में दिया गया है, पर वृहत बहुमंजिला भवनों का निर्माण कर उससे अधिक से अधिक लाभ कमाने की योजना बनाई है, लेकिन इसके लिये अर्थाभाव (पुंजी) वो संसाधनों वो भी जानकारी की कमी होने के कारण, इसपर अमल करना लेख्यकारी प्रथम पक्ष के लिये संभव नहीं है। इसलिये लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने दिगर दिगर डभलपर/विल्डर से सम्पर्क किया और आखिरकार लेख्यकारी द्वितीय पक्ष के साथ, जो कि कई सालों से डभलपर/विल्डर का कार्य करते चले आते है और इस कार्य के लिये पुरी तरह सक्षम हैं, से तालिका खाना नं0 5 में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्च से किये जाने पर बतौर डभलपर/विल्डर के देने का निर्णय लिया तथा इससे संबंधित कूल शर्तो को तय वो पक्की की गई,

For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner

28/03/01
28/03/01

Bhagalpur For Prem Nagar Cons

ताकि बहुमंजिला भवन निमार्ण का कार्य उपरोक्त भूमि पर समुचित ढग से सम्पादित किया जा सकें।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष, तालिका खाना नं0 5 में वर्णित भूमि वाली जायदाद के संयुक्त रूप से सोलह आना मालिकान वो दखलकार हैं वो चले आते हैं।

यह कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्वस्थ एवं मानसिक स्थिति में स्वेच्छा से अपना अपना लाभ एवं हानि अच्छी तरह समझ बुझ कर बिना किसी दबाब, वहकाव धोखा–फरेब के निम्नलिखित तय शुदा शर्तो को वजरिये इस डभलपमेंट एग्रीमेंट के वहक एक दुसरे के लिख दिया ताकि उसकी बाध्यता दोनों पक्षों पर तथा उनके वैध प्रतिनिधियों पर बनी रहें। जो इस प्रकार है।

शर्त

1. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष कंडिका 5 में वर्णित भूमि के जमीन मालिकान के नाम से जाने जायेगे तथा लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण करेगें इसलिए वतौर विल्डर/डभलपर के नाम से जाने जायेगे।

2. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष कंडिका 5 में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला भवनों के निमार्ण हेतु लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को आज कि तिथि से दिया वो अधिकृत किया तथा लेख्यकारी द्वितीय पक्ष अपने खर्च से बहुमंजिला भवनों के निमार्ण करने संबंधित भूखण्ड को लेना स्वीकार्य किया।

3. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष अपने नाम से या लेख्यकारी प्रथम पक्ष के नाम से जैसा संभव हो, उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवनों के निमार्ण हेतु आर्किटेक्ट या असैनिक अभियंता से नक्सा बनवा लेगें तथा उससे संबंधित विभाग/अधिकारी से पास करवा लेगें तत्पश्चात् भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगें। इसमें लेख्यकारी प्रथम पक्ष को कोई आपति नहीं होगी।

4. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष भवन निमार्ण में उपयोग होने वाली सामग्री यानि ईटा, सिमेंट, बालू, मिट्टी, छड़ , लकड़ी विद्युत तार इत्यादि सामग्री अपने साझेदारी फर्म के नाम से

For Prem Nagar Constructions For Prem Nagar Constructions For Prem Nagar Constructions

Partner Partner Partner

For Prem Nagar Constructions For Prem Nagar Constructions For Prem Nagar Constructions

Partner Partner Partner

खरीदेगें जिसका भुगतान लेख्यकारी द्वितीय पक्ष करने के लिए बाध्य होगे।

5. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उक्त भूखंड़ (भूभाग) पर भवन निर्माण संबंधी जो भी कार्य जिस कदर करना चाहेगें सो करेगें, उसमें लगने वाले कुल खर्च वो पुंजी लेख्यकारी द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेंगें।

6. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष आज तारीख से उक्त भूखण्ड पर लेख्यकारी द्वितीय पक्ष या उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी मजदूर या संबंधित व्यक्ति जिनका भवन निमार्ण कार्य में होना आवश्यक है, को जाने की तथा भूखण्ड पर जाकर नापी करने जगह को खोदने, चाहरदिवारी करने एवं भवनों के निमार्ण समाग्री रखने गोदाम एवं मजदूर आवास आदि हेतु व्यवस्था करने की अनुमति इस दस्तावेज द्वारा प्रदान दिये ताकि कार्य में कोई रूकावट नहीं होने पावे , वल्कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष इसमें अपना हर तरह से सहयोग प्रदान करेगें ।

7. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि निमार्ण कार्य हेतु, संबंधित कर्मचारी राजमिस्त्री मैनेजर, दरबान आर्किटेक्टर अभियंता आदि की नियुक्तिों का चयन अपने इच्छा एवं सुविधानुसार करेगें इसमें लेख्यकारी प्रथम पक्ष को कोई आपति नहीं होगी।

8. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष, जब भी जहां भी अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति पत्र देने के लिए लेख्यकारी प्रथम पक्ष से अनुरोध करेगें या कार्यालयों में वैधानिक रूप से आवश्यकता हो तो लेख्यकारी प्रथम पक्ष अविलम्ब संबंधित प्रमाण पत्र देगें वो उपस्थित होगें, इसमें कोई विलम्ब नहीं करेगें।

9. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष को प्रत्यक्ष वो परोक्ष रूप से किसी प्रकार का सरोकार, बहुमंजिला भवनों के निर्माण कार्य से नहीं होगा। लेख्यकारी द्वितीय पक्ष खाना नं0 5 में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन निर्माण का कार्य नक्सा स्वीकृति के तीन माह के अन्दर शुरू कर देगें और इसमें लगने वाली

For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner

Digambar Jha
28/03/01

अमरांगना
28/03/01

कुल लागत वो खर्च वो पूँजी की व्यवस्था स्वयं वो अपने स्तर से तथा वित्तीय संस्थानों के सहयोग से या अन्य प्रकार से सुनिश्चित करेगें। निर्माण कार्य में होने वाले कुल खर्च की जिम्मेदारी वो जबाबदेही लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की हैं वो रहेगी, लेख्यकारी प्रथम पक्ष को इससे कोई सरोकार नहीं है और न होगा।

10. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष को उनकी उक्त भूखण्ड की भूमि के प्रतिफल स्वरूप, उक्त बहुमंजिला भवनों की कुल सरंचना में 25 (पचिस) प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। इसी प्रकार लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की हिस्सेदारी, उक्त बहुमंजिला भवनों के निर्माण में होने वाले कुल खर्च लागत वो पूँजी के प्रतिफल स्वरूप कुल संरचना में 75 पचहत्तर प्रतिशत होगी । यानि कि बहुमंजिला भवनों की संरचना में लेख्यकारी प्रथम पक्ष की पचिस प्रतिशत वो लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की पचहत्तर प्रतिशत की हिस्सेदारी है वो रहेगी।

11. यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष वो लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उक्त संरचना में अपनी अपनी हिस्सेदारी क्रमशः 25 प्रतिशत वो 75 प्रतिशत का विभाजन आपसी सहमति से बहुमंजिला भवनों के निर्मित किये जाने वाले नक्से के आधार पर कर लेगें और इसकी सहमति स्वरूप एक लिखित दस्तावेज मय नक्सा अलग से इस आशय का बना लेगें ।

12. यह कि दोनों पक्षो के आपसी सहमति से बहुमंजिला भवन के सम्पूर्ण निमार्ण कार्य के पुर्ण रूपेण सम्पादित करने की समय सीमा तीन साल की निर्धारित की गई है, उक्त समय सीमा प्रस्तावित बहुमंजिला भवन निर्माण के नक्सा स्वीकृत संबंधित विभाग द्वारा होने की तिथि से लागू मानी जायेगी। जिसके अन्दर ही निमार्ण कार्य पूर्ण करने के लिए लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होंगे। यदि विलम्ब का करण कोई वैधानिक या अन्य प्रकार की अडचन हो और लेख्यकारी द्वितीय पक्ष के प्रयास के बाबजूद भी निमार्ण अवधि में विलम्ब की संभावना हो ऐसी स्थिति में दो साल की अवधि और बढ़ाई गई मानी जायेगी लेकिन इसके उपरांत भी यदि निर्माण कार्य

For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner

28/03/01

28/03/01

Bhagalpur

पुरा नहीं होता है तो वैसी स्थिति में लेख्यकारी प्रथम पक्ष की संरचना में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला जो भाग पूर्ण रूपेण पूरा नही होता है उस भाग का निर्माण कार्य पूरा करने में जो लागत और लगने की संभावना होगी उसका मूल्यांकन कर उस पर बारह प्रतिशत सलाना की दर से लेख्यकारी द्वितीय पक्ष, लेख्यकारी प्रथम पक्ष को ब्याज अदाय करने के लिए पायबंद होगें जब तक की उपरोक्त भाग का निर्माण कार्य पूरी तरह सम्पादित नहीं हो जाता है।

13. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को इस समझौता पत्र के आधार पर अपना 75 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र भवन/फ्लैट/दुकान आदि को मय अनुपातिक जमीन वगैरह के साथ पार्ट पार्ट कर विक्री करने वो कोई कीमत तय करने वो एकरारनामा करने वो अग्रिम या अन्य राशि इस मद में प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा उसी प्रकार लेख्यकारी प्रथम पक्ष को यदि वो चाहें तो अपने 25 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र भवन/फ्लैट/दुकान आदि को मय अनुपातिक जमीन वगैरह के साथ पार्ट पार्ट कर विक्री करने वो कोई कीमत तय करने वो एकरारनामा करने वो अग्रिम या अन्य राशि इस मद में प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. यह कि निमार्ण कार्य प्रारंभ करने के लिये विद्युत कनेक्शन लेने की आवश्यकता लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की होगी तो वे स्वंय अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार विद्युत विभाग में आवेदन देगें तथा विद्युत कनेक्शन लेने के लिये स्वतंत्र होगे। परंतु निमार्ण काल में जितना विद्युत विपत्र होगा उसका भुगतान का दायित्व लेख्यकारी द्वितीय पक्ष का होगा। इसी प्रकार लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को बहुमंजिला भवनों में दी जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे दूरभाष कनेक्शनए बिजली , केवल, वाटर सप्लाई वो अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, उसे करने का हक पुर्ण रूप से प्राप्त हैवो माना जायेगा वो उसके विपत्र का दायित्व भी लेख्यकारी द्वितीय पक्ष का होगा।

For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner
For Prem Nagar Constructions
Partner

Digambeth
28/03/01

अमरेन्द्र कुमार
28/03/01

जिला अवर निबंधक का मुहर
भागलपुर

15. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष द्वारा किसी अन्य क्रेता के पक्ष में अपने अंश के विक्रय, एकरारनामा करने की स्थिति में लेख्यकारी प्रथम पक्ष खुद या बजरिये आम मुख्तारनामा के आधार पर, उपरोक्त एकरारनामा वो बिक्रय पत्र पर पुष्टि हेतु अपना हस्ताक्षर करेगें ठीक उसी प्रकार लेख्यकारी प्रथम पक्ष द्वारा अपने अंश का किसी अन्य क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र या एकरारनामा करने की स्थिति में यदि क्रेता चाहे तो लेख्यकारी द्वितीय पक्ष उपरोक्त दस्तावेजों पर पुष्टि हेतु अपना हस्ताक्षर करगें।

16. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को यह पूर्ण अधिकार है कि प्रस्तावित बहुमंजिली भवनों की सरंचना में जितना भवनों/फ्लैटों/दुकानों वगैरह का भाग उनकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी में आता है उसे अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा मूल्य लेकर इच्छुक क्रताओं के हाथ बेचे और इसके लिये निमार्ण के पूर्व या निर्माण काल के अन्तर्गत या निर्माण सम्पूर्ण होने के उपरांत इच्छुक क्रेताओं के साथ अलग अलग एकरारनामा वो विक्रय पत्र दस्तावेज तामिल कर रजिस्ट्री आदि कार्य करे । विक्रय राशि का निर्धारण करें तथा अग्रिम राशि वसूल करें इससें लेख्यकारी प्रथम पक्ष को काई आपति नहीं होगी। इच्छुक क्रेता किसी वित्तीय संस्था से कर्ज लेकर फ्लेट आदि क्रय करने का इच्छुक हो तो उसके लिए लेख्यकारी द्वितीय पक्ष संबंधित क्रेता से मिलकर वित्ततीय संस्थान के पक्ष में विलेख निष्पादित करेगे।

17. यह कि भवन निमार्ण काल के अन्तर्गत मुख्य कार्यो का निरीक्षण समय समय पर लेख्यकारी प्रथम पक्ष करेगे इसमें लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को कोई आपति नहीं होगा। तथा समय समय पर निमार्ण कार्यो की समीक्षा करेंगें ।

18. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष द्वारा खाना नं0 5 में वर्णित उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवनों के निर्माण किये जाने के दौरान आज की तिथि के बाद कोई भी घटना दुर्घटना उक्त भूमि या उस पर किये जाने वाले कार्यो से संबंधित के लिए लेख्यकारी द्वितीय पक्ष ही जिम्मेदार होगें वो माने जायेगे।

For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner
For Prem Nagar Constructions Partner

28/8/01

28/8/01

Bhagalpur For Prem Nagar Constructions

लेख्यकारी प्रथम पक्ष को इसके लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

19. यह कि किसी कारणवश लेख्यकारी द्वितीय पक्ष निमार्ण कार्य से विमुख या असफल हो जाय और प्रोजेक्ट बन्द हो जाय तो वैसी स्थिति में परीस्थिति को देखते हुए जो भी उचित निर्णय होगा जितना भी व्यय अपूर्ण कार्य या अधुरा निमार्ण के लिये लगेगा उसे लेख्यकारी द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा ।

20. यह कि उपरोक्त भूखण्ड सभी प्रकार के विवादो से परे हैं। भूमि हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत भी भूमि का अर्जन नहीं हुआ है। तथा हदबंदी विभाग के दायरे में नहीं है और न किसी व्यक्ति का दावा भमि पर है और न कोई वाद किसी न्यायालय में लंवित है भूमि सभी प्रकार के कर्ज से मुक्त है। यदि भविष्य में कोई स्वत्व या विवाद कर्ज या दावा का विवाद या अर्जन संबंधित विवाद खड़ा हो जाये तो उसकी पूरी जबाबदेही लेख्यकारी प्रथम पक्ष की है और होगी । यदि निमार्ण कार्यो के कारण आस पास भूखण्डो के मालिक या मालिकों द्वारा लेख्यकारी द्वितीय पक्ष की गलती या असावधानी से किसी प्रकार का कववाद या झंझट खड़ा हो तो उसकी जिम्मेवारी वो उसे निपटारा करने के लिये लेख्यकारी द्वितीय पक्ष ही एक मात्र उत्तरदायी होगे।

21. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष आवश्यकतानुसार किसी विभाग या सरकारी कार्यालय या न्यायालय में आवेदन देने, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अपने खर्च पर वकील रखने, पैरवी करने वकालतनामा निष्पादित करने, शपथ पत्र देने या निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र एवं अधिकृत हैं।

22. यह कि लेख्यकारी द्वितीय पक्ष अपने 75 प्रतिशत विभाजित भ्सवनों/फ्लैटो/दूकानों का विक्रय विलेख का निष्पादन स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त अटरनी के द्वारा निष्पादित करने के लिये सक्षम माने जायेगें। बहुमंजिला भवनों के निर्माण कार्य को विधिवत पूरा करने वो लेख्यकारी द्वितीय पक्ष को अपने हिस्सेदारी वाले भाग को विक्रय करने आदि सभी कार्यो को सम्पादित करने के लिए लेख्यकारी प्रथम पक्ष

For Prem Nagar Constructions
Partner

For Prem Nagar Constructions
Partner

For Prem Nagar Constructions
Partner

For Prem Nagar Constructions
Partner

For Prem Nagar Constructions
Partner

Bhagalpur

For Prem Nagar Constructions

इस आशय का एक अलग से रजिस्टर्ड जनरल पॉवर आफ अटर्नी भी वहक लेख्यकारी द्वितीय पक्ष के तहरीर वो तामिल कर देगें। यदि किसी कारण वश पॉवर आफ अटर्नी नहीं तामिल हो पावे तो वैसी हालत में दोनों पक्ष शामिल होकर विक्रय पत्र निस्पादित खरीदारों के हक में करने के पायबंद है वो माने जायेगें

23. उपरोक्त उक्तियां एवं शर्तो की स्वीकृत के प्रमाण में दोनों पक्षो ने आज इस दस्तावेज पर अपना अपना हस्ताक्षर, साक्षियों के समक्ष कर दिया जो दो प्रतियों में मूल रूप सें हे। एव एक – एक प्रति देनों पक्षों के पास रहेगा ।

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

For Prem Nagar Constructions
28.3.01
Partner

For Prem Nagar Constructions
28.3.01
Partner

For Prem Nagar Constructions
28.3.01
Partner

For Prem Nagar Constructions
28.3.01
Partner

For Prem Nagar Constructions
28.3.01
Partner

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

1. 28/03/01

2. 28/03/01

गवाह का हस्ताक्षर

1.

2.

टंकक,
योगेन्द्र चन्द्र झा
न्या.हाता, भागलपुर
दिनांक 28/3/2001

निबंधक का मुहर

10

Bhagalpur For Prem Nagar Constructions

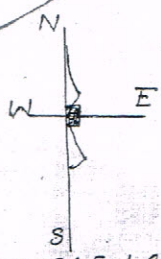

SCALE-1.CM.
=20'-0"FT

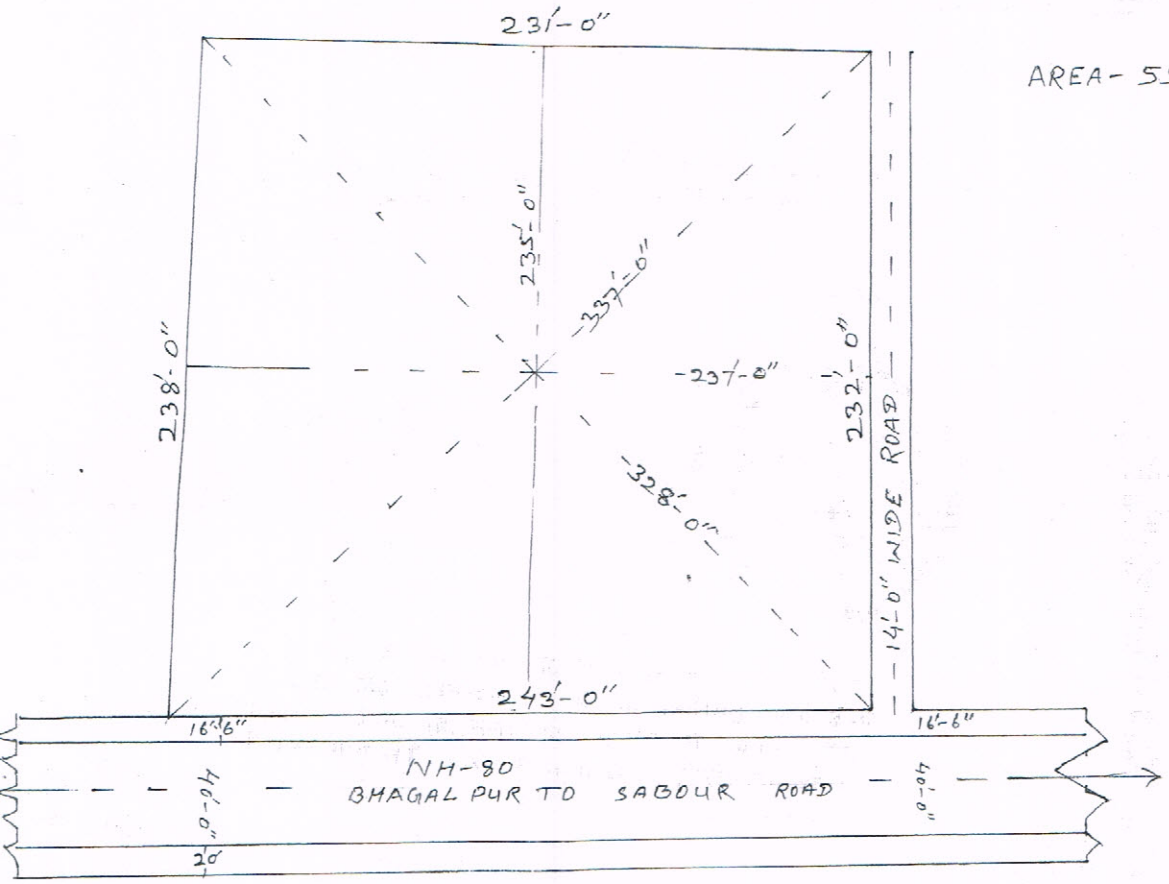

For Prem Nagar Constructions

Partner

DRAWN BY
Parshuram Pd Singh

Amin
Parshuram Pd. Singh
Amin
Ibrahimpur, Sabour
Bhagalpur

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

For Prem Nagar Constructions

Partner

(1) [illegible]
28/03/01

(2) [illegible]
28/03/01